

परिपत्र सं. 18/18/2017-जीएसटी

फा.सं. 354/320/2017-टीआरयू-पट.1

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
टैक्स रिसर्च यूनिट

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 16 नवम्बर , 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त
/आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी)/प्रधान महानिदेशक/
महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: कपड़ों के निर्यातकों से संबंधित इनपुट्स पर भुगतान किए गए जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका उपयोग न किया गया हो, के रिफंड से संबंधित स्पष्टीकरण- की बावत

जीएसटी के अंतर्गत कपड़ों [जोकि अध्याय 50 से 55 और 60 तथा शीर्ष 5608, 5801, 5806 के अंतर्गत आते हैं] के अंतर्गत इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिनका उपयोग न किया गया हो, का विनिर्माता निर्यातकों को रिफंड किए जाने के बारे में लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं।

2.1 इस मामले पर विचार किया गया है। सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (3) के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है, कि:

उप-धारा (10) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी पंजीकृत व्यक्ति अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का किसी कर की अवधि के अंत में रिफंड के लिए दावा कर सकता है:

बशर्ते कि किसी भी अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का निम्न से भिन्न मामलों में रिफंड नहीं किया जाएगा-

- i. कर के भुगतान के बिना जीरो रेटेड सप्लाइ की गई हो;
- ii. जहां पर क्रेडिट इस कारण से संचित हुआ है की इनपुट पर कर की दर, आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक है (शून्य दर वाले या पूरी तरह से छूट प्राप्त आपूर्तियों से भिन्न), जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं या दोनों को छोड़कर।

2.2 जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर सीजीएसटी एक्ट-2017 की धारा 54 की उप-धारा (3) के परंतुक के उप-वाक्य (ii) के अंतर्गत अधिसूचना 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 [समय-समय पर यथा संशोधित] को जारी करके कुछ वस्तुओं से संबंधित इनपुट्स पर भुगतान किए गए सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें इनपुट्स पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट भी शामिल है, जिनका उपयोग न किया गया हो के रिफंड के बारे में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

2.3 चूंकि उपर्युक्त अधिसूचना को उक्त परंतुक के उप-वाक्य (ii) के अंतर्गत जारी किया गया है अतः इसका उक्त परंतुक के (i) की प्रयोजता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका की उपयोग न किया गया हो के रिफंड पर लगाए गए प्रतिबंध जीरो रेटेड आपूर्तियों पर लागू नहीं होंगे अर्थात्

(क) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात या

(ख) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की विशेष आर्थिक जोन के डेवलेपर या विशेष आर्थिक जोन की इकाईयों को आपूर्ति की गयी हो।

2.4 तदनुसार, कपड़ों के निर्यात के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के उप-धारा (10) के प्रावधानों के अधीन, कपड़ों के उत्पादक अपने द्वारा निर्मित और निर्यातित कपड़ों से संबंधित इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट (कैपिटल गुड्स पर जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा), जिसका कि उपयोग न किया गया हो, के रिफंड के पात्र होंगे।

3. इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय

राहिल गुप्ता
28/11/17

राहिल गुप्ता

तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)